

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 12 (156) विविध/आयो/आकाशि/2020/2893 दिनांक: 15 दिसम्बर, 2020


समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान ।

विषय :- महाविद्यालय चारदीवारी निर्माण का करवाये जाने बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि महाविद्यालयों की चारदीवारी नही होने के कारण महाविद्यालय को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण होने की संभावनाओं के मद्देनजर राजकीय महाविद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण DMFT/RIICO/ TAD/ MLALAD/ MPLAD/ भामाशाह/ स्थानीय निकाय/मनेरगा एवं महाविद्यालय विकास समिति कोष इत्यादि से करवाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।


भवदीय,



(डॉ.दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा,राज.जयपुर

प्रतिलिपि – वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।



(डॉ.दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा,राज.जयपुर